

2433

A

Submitted On 12.07.2023

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH,
NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 438 OF 2018

IN THE MATTER OF:

ARTI

...APPLICANT

VERSUS

CENTRAL GROUND WATER AUTHORITY & ORS. ...RESPONDENTS

REPLY BY THE RESPONDENT NO. 104 TO THE APPLICATION UNDER
SECTION 14 AND 16 OF THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL ACT, 2010
& SUBMISSION FOR DELETION OF PARTY FROM THE ARRAY OF
RESPONDENTS

Filed by-



ADITYA KISHOR TYAGI

(D/4583/2016)



ANAND KUMAR V

(D/598/2017)

Counsels for the Respondent No.104

AP Legal Chambers, Advocates & Solicitors

G- 70, LG - 04, G - Block, Sector - 63, Noida - 201301

M. No. +91 9210248080

Email: aplegalchambers@gmail.com



2434

(B)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH,
NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 438 OF 2018

IN THE MATTER OF:

ARTI

...APPLICANT

VERSUS

CENTRAL GROUND WATER AUTHORITY & ORS. ...RESPONDENTS

INDEX

SL NO	PARTICULARS	PAGE NO
1	Reply by Respondent No 104 to the application under Section 14 & 16 of the National Green Tribunal Act, 2010 along with affidavit	1-11
2	Annexure R-1. (Colly.) Copy of the Letter & Reply Submitted to the Uttar Pradesh Pollution Control Board Lucknow & Vasundhara by the respondent	12-17
3	Annexure R-2. (Colly.) Copy of letter received from Nodal Officer, Ground Water Web Portal and reply to the letter by the respondent	17A
4	Annexure R-3. (Colly.) Copy of Hotel Registration under The Sarais Act, Electricity Department and Fire Department	18-21

5	Annexure R-4. (Colly) Copy of Solid Waste Management Work Agreement between Hotel Royal Park and NatureClean Enviro Services Pvt. Ltd and latest bill settled	22-24
6	Annexure R-5. (Colly) Water Bill paid to Ghaziabad Development Authority	25-29
7	Annexure R-6. (Colly) Property Tax paid to Nagar Nigam Ghaziabad, Sewage & Drainage Charges paid to Ghaziabad Development Authority	30-35
8	Vakalatnama & Board Resolution	36-37

New Delhi
Dated: 12/07/2023

Filed by-

ADITYA KISHOR TYAGI

(D/4583/2016)

ANAND KUMAR V

(D/598/2017)



Counsels for the Respondent No.104

AP Legal Chambers, Advocates & Solicitors

G- 70, LG - 04, G - Block, Sector - 63, Noida - 201301

M. No. +91 9210248080

Email: aplegalchambers@gmail.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH.

NEW DELHI

(Under Rule 14 and 16 of the National Green Tribunal Act, 2010)

ORIGINAL APPLICATION NO. 438 OF 2018

IN THE MATTER OF:

ARTI

...APPLICANT

VERSUS

CENTRAL GROUND WATER AUTHORITY & ORS. ...RESPONDENTS

REPLY BY THE RESPONDENT NO. 104 TO THE APPLICATION UNDER
SECTION 14 AND 16 OF THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL ACT, 2010
& SUBMISSION FOR DELETION OF PARTY FROM THE ARRAY OF
RESPONDENTS

I, Chandrashekhar, S/o Sh. Purushottom Singh, aged about 51 Years Managing Director of Royal Park Hospitality Private Limited, under which Royal Park Hotels & Resorts is being operated and having the registered office at Shakti Khand – II/209, Indirapuram, Ghaziabad presently at New Delhi, do hereby solemnly affirm as under:

1. That I'm the Managing Director of Royal Park Hospitality Private Limited, which runs Royal Park Hotels & Resorts and is being mentioned

as respondent No 104, in the OA No 438/2018 before this Hon'ble Tribunal.

2. I am well conversant with the facts and circumstances of the present case
3. As such I am competent to swear this affidavit on behalf of the respondent No 104.
4. That the facts mentioned in the objections are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the Respondent herein is carrying out bona-fide hotel business which has been serving the people for over 12 years and has earned a good reputation both in terms of business and service provided, who earn their living by way of their legal business activities.
2. That for the purpose of brevity, the facts of the case are not elaborated in details but quoted in the paragraphs as and when required.
3. That the Applicant in the Original Application No 438/2018 (Hereinafter referred as Application) with ill-research and limited application of mind has

just copy pasted the list of Hotels, Restaurants, and other similar such places of stay from online (Google) without ever visiting the hotel ever.

4. That the purported application has alleged illegal and unauthorized abstraction of groundwater by the respondent whereas the respondent herein categorially refutes to such baseless and malefide allegations.
5. That the respondent herein vehemently denies all the allegations as said in the application and also explicitly states that each and every law has been complied by the respondent in letter and spirit.
6. That it is pertinent to mention here the operative part of the order of this Hon'ble Tribunal dated: 24.09.2023

8. In view of the above, while directing listing of this application on 08.11.2021 to be considered alongwith other matters involving illegal extraction of ground water, we direct the CGWA to place complete information on record about the status of compliance by the concerned parties. The CGWA may interact with the District Magistrate and the State PCB about the remedial measures for compliance of law and take further action, following due process, in exercise of statutory regulatory powers of the CGWA and other Authorities, including District Magistrate and the State PCB.

7. That it is also equally important to highlight the report dated 03.12.2021 placed by the joint inspection committee (JIC) comprising CGWA, Minor Irrigation Department, UPPCB, UPJN which is stated in Para No. 12 of the order dated 25.02.2022 by this Hon'ble Tribunal which states that the above-mentioned JIC visited premises of 121 respondents units and also the observations of the committee. The operative part of the order contained in Para 12 read as under:

12. In furtherance of the said order, CGWA submitted a report dated 03.12.2021 stating that joint Committee comprising CGWA, Minor Irrigation Department, UPPCB and UPJN was constituted who visited premises of 121 respondents' units and observations of the said Committee read as under:

"OBSERVATIONS OF THE COMMITTEE

8. That a Report has been prepared by the joint Inspection committee incorporating complete information about the current status about the use of tubewells for extraction of ground water (copy of the Report by Joint Inspection Committee is enclosed as annexure G).

9. That the observations / data collected by the Committee Members has been analyzed and categorized into seven heads:

A. Respondent units which are being supplied water inadequately or completely by Nagar Nigam and still tubewell(s) exist in their premises.

8. That as per the observation of the committee the respondent herein is categorized in *Sub Category A – Respondent Units which are being supplied water inadequately or completely by Nagar Nigam and still tubewell(s) exist in their premises.*
9. That it is brought to the notice of this Hon'ble Tribunal that the observations/claims/data collected by the JIC is not only erroneous, inaccurate but also factually flawed.
10. That the respondent herein states that as against the claims made by the JIC in their report *supra*, which claims that it had personally visited premises of 121 respondents and categorized the respondent herein under Category A, while the fact remains that till date neither the JIC or any other personnel from any other governmental agencies in their official or personal capacity has visited the respondent's premises till date.
11. That it is also seriously surprising to note that they have even observed one borewell in our premises, while from the time of inauguration in fact even prior to that from the time of bhoomi pooja, till date, we have not installed tubewell.
12. That the respondent herein further states that from the time of starting the premises in 2011, till date the respondent has been using only the water

supplied by Nagar Nigam which is roughly about 18-20 KLD. Recent water bills paid to Nagar Nigam is attached herewith as Annexure R-5, for your perusal and ready reference.

13. That it is evident from the facts stated above that there is clear dereliction of duty by the JIC and presenting a blatant lie before this Hon'ble Tribunal, the veracity, genuineness and reliability of this report of the JIC is subject to scrutiny.
14. That the respondent received a letter from The City Magistrate, Ghaziabad on 02.04.2022 asking for particulars regarding the hotel and the respondent has promptly replied stating all the facts and necessary information on 15.06.2022. Annexed as R-1 (colly.)
15. That it is very appropriate to mention here that even in the reply to the City Magistrate, Ghaziabad dated *supra*, the respondent has clearly stated that he is not having tubewells in his premises.
16. That it is also humbly submitted before this Hon'ble Tribunal that the respondent received letter from Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), Regional Office Vasundhra, (Ref No: 50/NGT19/OA438/18/2023) and Head Office Lucknow (Ref No: AH91732/C1/11902023) on 10.04.2023 & 11.04.2023 respectively ordering the respondent to pay a fine of Rs. 9,80,000.00/- (Rupees Nine Lakhs Eighty Thousand Only) with regard to this

case and reply for the same was sent by the respondent stating all the facts of the case and denying such allegations of using tubewells in the premises dated on 26.04.2023. The letter received by the respondent is annexed as **R-1** & the Reply given the respondent is annexed as **R-1** for your consideration.

17. That to the respondent's shock and surprise, in spite of giving reply to the UPPCB, further a letter was received from the Nodal Officer, Ground Water Web Portal on 12.06.2023 bearing Ref No 615/23-24 mentioning the final compensation assessment report in which it was ordered by the Nodal Officer to pay a sum of Rs. 10,00,000.00/- (Rupees Ten Lakhs Only) as final compensation with in 15 days from the date of receipt of the letter.

18. That proceedings with such frivolous report and subsequent letter by various agencies, only for the purpose of harassment without any substantive evidence is not only sheer abuse of power, dereliction of duty, negligence by the officers, exploitation of innocents, disregard to the explicit order of the Tribunal but more importantly, wastage of time of this Hon'ble Tribunal and deserves appropriate action.

19. That it is important for this Hon'ble Tribunal to take action against those who cause harm to the environment, it is also equally important for this Hon'ble Tribunal to decide on merits and leave out the innocents.

20. That considering the unique functioning style and methodology of this Hon'ble Tribunal, which upholds the Principles of Natural Justice, the facts and circumstances are clear which explains the standing of this respondent.

21. That to all the harassments that has been done by the various departments over a period of 2 years, this Hon'ble Tribunal may empathize on the respondent and may remove the respondent from this array of respondents.

22. That the respondent has been law compliant and deserves support and backing up by this Hon'ble Tribunal and other Governmental agencies for smoothly carrying out their business as the respondent had already suffered a lot during the Corona and the ensued Lockdown in 2020 & 2021.

PRAYER

That in the light of the above-mentioned grounds and circumstances, the respondent herein prays for:

1. Setting aside the findings/ reports / observations of the Joint Inspection Committee.
2. Take cognizance of the replies filed to the UPPCB and Nodal Officer, Ground Water Web Portal and ordering them to cancel the fine levied on us.

3. Remove the respondent herein from the list of respondents in OA No. 438/2018
4. Pass any such order that this Hon'ble Tribunal may deem fit in the interest of justice.

[Signature]
RESPONDENT

THROUGH

[Signature]
ADITYA KISHOR TYAGI

[Signature]
ANAND KUMAR V

(D/4583/2016)

(D/598/2017)



Counsels for the Respondent No.104

AP Legal Chambers, *Advocates & Solicitors*

G- 70, LG - 04, G - Block, Sector - 63, Noida - 201301

M. No. +91 9210248080

Email: aplegalchambers@gmail.com

VERIFICATION

I, Chandrashekhar, S/o Sh. Purushottom Singh, aged about 51 Years, R/o 209, Shakti Khand II, Indirapuram, Ghaziabad - 201024, do hereby verify that the contents of the Paras 1 to __ are true to my personal knowledge and that I have not suppressed any material fact.

[Signature]
APPLICANT

2445

10

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH,
NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 438 OF 2018

IN THE MATTER OF:

ARTI

...APPLICANT

VERSUS

CENTRAL GROUND WATER AUTHORITY & ORS. ...RESPONDENTS

AFFIDAVIT

I, Chandrashekhar, S/o Sh. Purushottom Singh, aged about 51 Years, R/o 209, Shakti Khand II, Indirapuram, Ghaziabad - 201024, solemnly affirm and declare as under:

1. That I am the Managing Director of Royal Park Hospitality Private Limited, which runs Royal Park Hotels & Resorts, is being mentioned as respondent No 104, in the OA No 438/2018 before this Hon'ble Tribunal.
2. I am well conversant with the facts and circumstances of the present case
3. As such I am competent to swear this affidavit on behalf of the respondent No 104.
4. That the facts mentioned in the objections are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material is concealed therefrom.

[Handwritten Signature]
DEPONENT



39/

*Verify the deponent who has signed/put
impression by in presence of
witnesses.*



VERIFICATION

Verified on this 12 day of JULY 2023 that the contents of the present reply are true and correct to my knowledge and belief and nothing material is concealed therefrom.

[Handwritten Signature]
DEPONENT



CERTIFIED THAT THE DEPONENT
Shri/Smt./Km..... *Chandrashekhar*
S/o./W/o./D/o. Sh. *Purushottam*
Identified by *Adv. Anshu Tyagi*
has solemnly sworn before me at Delhi
on 12 JULY 2023 at No. 39/23
that the contents of the affidavit which have
been read & explained to me are true and
correct to his knowledge
Oath Commissioner *[Signature]* Karkardooma Court Delhi

12 JUL 2023

R-1 2447

12

85

कार्यालय

पत्र संख्या 64

जिलाधिकारी

/नोटिस/2022

गाजियाबाद।

दिनांक 02/04/2022

नोटिस

Royal Park Hotels & Resorts Shakti Khand -II/20,
Indrapuram, Ghaziabad, 201010

अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण(एनजीटी) नई दिल्ली के पारित निर्देश के अनुपालन में केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा 122 होटलों से सम्यन्धित ऑकड़े/सूचना चाही गई जिसमें इन 122 होटलों की सूची में आपका प्रतिष्ठान का नाम भी सम्मिलित है।

अतः जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद के आदेश दिनांक 26-03-2022 के क्रम में आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप इस पत्र प्राप्ति के तीन दिन के अन्दर किसी भी कार्यदिवस में अपने प्रतिष्ठान की स्थापना (Date of Establishment) की दिनांक के सम्बन्ध में लिखित रूप में इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें ताकि सूचना/ऑकड़े भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड को समय से प्रेषित किये जा सकें।

यदि आप द्वारा नियत समय में वांछित सूचना नहीं दी जाती है तो यह समझा जायेगा कि आप द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण(एनजीटी) नई दिल्ली के पारित निर्देशों के कियान्वयन में सहयोग नहीं किया जा रहा है और तदनुसार आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

201-04-22
(गम्मीर सिंह)

नगर मजिस्ट्रेट
गाजियाबाद।

2448

13

क्र० सं०	आवश्यक विवरण	प्राप्त विवरण
1	स्थापना / पंजीकरण का वर्ष	28/07/2011
2	पानी की सप्लाई का स्रोत	(अ) नगर निगम से (के०एल०डी०) SDA
3		(ब) ट्यूबवेल, बोरेवेल से (के०एल०डी०)
4		(अ) नलकूप की गहराई (मीटर)
5	स्थापित नलकूप का विवरण	(ब) नलकूप का व्यास (मिली मीटर)
6		(स) लगे हुये पम्प की क्षमता (हार्सपावर)
7		(ड) निस्तारण क्षमता (एलपीएम)
8		(अ) सिंगल बेंड
9	कर्मों की संख्या	(ब) डबल बेंड
10		(स) अन्य
11		कर्मचारियों की संख्या
12	अन्य सम्बन्धित सूचना (यदि कोई हो तो)	30 Restaurants & Bar Wash / Bat Hall 50 wastage water of RO used for cleaning and plants after storage 17/11/20


 15/08/2012
 अधिकारी
 नाम

होटल मैनेजर के हस्ताक्षर



Dot
15/04/2022

2449

14

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी०सी०-12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक 491722

/सी-1/सा०-1190/2023

पजीकृत

दिनांक 10-11-23

M/s Royal Park Hotels & Resort
Shakti Khand 1/209 Indrapuram
Ghaziabad.

विषय : मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए०संख्या-438/2018 आरती बनाम सी०जी०डब्लू०ए० एवम् अन्य में जनपद गाजियाबाद में विभिन्न दोषी होटल/मैरिज हॉल/बैंकट हॉल/रिसॉर्ट/गेस्ट हाऊस के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस के संबंध में।

महोदय,

रूपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए०संख्या-438/2018 आरती बनाम सी०जी०डब्लू०ए० एवम् अन्य में पारित आदेश दिनांक-25.02.2022 के अनुपालन में जनपद गाजियाबाद में चिन्हित 69 दोषी होटल/मैरिज हॉल/बैंकट हॉल/रिसॉर्ट/गेस्ट हाऊस के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त आदेशों के अनुपालन में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद द्वारा 94 होटल/मैरिज हॉल/बैंकट हॉल/रिसॉर्ट/गेस्ट हाऊस को दिनांक-30.08.2022 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया था जिनमें से 69 होटल/मैरिज हॉल/बैंकट हॉल/रिसॉर्ट/गेस्ट हाऊस को दोषी पाया गया। उक्त संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा दिनांक-30.08.2022 को प्रेषित प्रथम नोटिस तथा बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित आख्या दिनांक-13.03.2023 को आधार तिथि मानते हुए दिनांक-30.08.2022 से 13.03.2023 तक कुल 196 डिफाल्टर दिनों हेतु रूपया-5000/- प्रतिदिन की दर से होटल/मैरिज हॉल/बैंकट हॉल/रिसॉर्ट/गेस्ट हाऊस के विरुद्ध रूपया-9,80,000/- (रूपया नौ लाख अस्सी हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी आख्या प्रेषित की गयी है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या तथा उक्त पर सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त मा० एन०जी०टी० के आदेशों के अनुपालन में 69 होटल/मैरिज हॉल/बैंकट हॉल/रिसॉर्ट/गेस्ट हाऊस के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने से पूर्व निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

“यह कि क्यों न केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर दिनांक-30.08.2022 से 13.03.2023 तक कुल 196 डिफाल्टर दिनों हेतु रूपया-5000/- प्रतिदिन की दर से आपके होटल/मैरिज हॉल/बैंकट हॉल/रिसॉर्ट/गेस्ट हाऊस के विरुद्ध रूपया-9,80,000/- (रूपया नौ लाख अस्सी हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये?”

2450

15

उक्त पर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में होटल/गैरिज हॉल/बैंकट हॉल/रिसॉर्ट/गेस्ट हाऊस के वियद्ध रूपया-9,80,000/- (रूपया नौ लाख अस्सी हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1




104. Royal Park Hotels & Resorts Shakti Khand -1/209, Indirapuram,
Ghaziabad-201010

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 438/2018 आरती बनाम सी०जी०डब्ल्यू०ए० एवं अदर्स में जनपद गाजियाबाद में स्थित दोषी हॉटल/मैरिज हॉल/बैंकट हॉल/रिसोर्ट/गैस्ट हाऊस के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 438/2018 आरती बनाम सी०जी०डब्ल्यू०ए० एवं अदर्स में पारित आदेश दिनांक 25.02.2022 के अनुपालन में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक एच-91732/सी-1/सा०-1196/2023 दिनांक 10.04.2023 का सदमे ग्रहण करने के लिए उक्त पत्र के माध्यम से आपके हॉटल/मैरिज हॉल/बैंकट हॉल/रिसोर्ट/गैस्ट हाऊस के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति किये जाने से पूर्व निम्न कारण बताओं नोटिस जारी किया गया।

उक्त नोटिस के बाद उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के लिए नोटिस जारी किया गया। आपका जवाब दिनांक 30.08.2022 से 13.03.2023 तक कुल 196 डिकालन्टर प्रतिदिन के औसत प्रवाह की दर से आपके हॉटल/मैरिज हॉल/बैंकट हॉल/रिसोर्ट/गैस्ट हाऊस के विरुद्ध रु० 9,80,000/- (रुपया नौ लाख अस्सी हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया गया।

नोटिस के अंतर्गत बताया जाता है कि अपना पक्ष/स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रस्तुत करना आवश्यक है। सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में हॉटल/मैरिज हॉल/बैंकट हॉल/रिसोर्ट/गैस्ट हाऊस के विरुद्ध रु० 9,80,000/- (रुपया नौ लाख अस्सी हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाएगा। उक्त नोटिस के अंतर्गत उक्त नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण अन्तर्गत आदेश के अन्तर्गत होगा।


(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनाथ
दिया।


क्षेत्रीय अधिकारी

संवा म,
श्रीमान मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त- 1, टी. सी. - 12 वी, विभूती खंड, गोमती नगर,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010।

2452

17

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए.संख्या- 438/2018, आरती बनाम सी0जी0डब्लू0ए0 एवं अन्य में जनपद गाजियाबाद में चिन्हित दोषी होटल/ मैरिज हॉल/ बैंकट हॉल/ रिसोर्ट/ गेस्ट हाउस के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में।

महोदय,

श्रीमान जी आपके द्वारा प्रेषित पत्र सन्दर्भ संख्या: एच-91732/ सी0-1/ सा0- 1190/ 2023 दिनांक- 10-04-2023 जो कि हमें डाक द्वारा 15-04-2023 को प्राप्त हुआ। श्रीमान जी उक्त सन्दर्भ में आपको अवगत कराना है कि हमारे प्रतिष्ठान रॉयल पार्क होटल्स एवं रिसोर्ट स्थित 209, शक्ति खंड- 2, इंद्रापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201010, द्वारा किसी भी प्रकार से पानी का दोहन नहीं किया जा रहा है क्योंकि हमारे प्रतिष्ठान में कोई भी बोरवेल स्थापित नहीं किया गया है, हमारे प्रतिष्ठान द्वारा पूर्व में भी श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद से प्राप्त पत्र संख्या-64 दिनांक 02-04-2022 के उत्तर में एक घोषणापत्र उपरोक्त सन्दर्भ में भी दिनांक 15-06-2022 को प्रेषित किया जा चुका है जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है, हमारे प्रतिष्ठान में स्थापन के समय से ही गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिए गए कनेक्शन के माध्यम से ही पानी की आपूर्ति होती है, जिसके बिल का भुगतान हमारे प्रतिष्ठान द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को किया जाता है, भुगतान के रसीद की प्रतिलिपि संलग्न है, हमारे प्रतिष्ठान को गलत व मनमाने तरीके से चिन्हित कर के माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए.संख्या-438/2018, आरती बनाम सी0जी0डब्लू0ए0 एवं अन्य में पक्षकार बना दिया गया है, जिसमें अगली तारीख 03-07-2023 नियत है जिसमें हमें अपना पक्ष रखना है, अतः आपके पास पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु कोई आधार प्राप्त नहीं है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनेको निर्णयों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब तक पक्षकार द्वारा अपना पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं रखा जाता, तब तक बिना किसी सुनवाई के मनमाने तरीके से एकपक्षीय कार्यवाही नहीं की जा सकती, चूंकि हमारे प्रतिष्ठान द्वारा कभी भी किसी प्रकार से जमीनी पानी का दोहन नहीं किया गया है, और हमारे प्रतिष्ठान को गलत व मनमाने तरीके से चिन्हित कर के माननीय न्यायालय में पक्षकार बना दिया गया है, अतः दिनांक 30-08-2022 से 13-03-2023 तक रुपये 5000/- प्रतिदिन की दर से कुल रूपया 980000/- की वसूली का नोटिस गलत व अनुरक्षणीय है, आपके द्वारा प्रेषित उपरोक्त पत्र को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित अंतिम निर्णय तक तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि आपके द्वारा प्रेषित पत्र सन्दर्भ संख्या: एच-91732/ सी0- 1/ सा0- 1190/ 2023 दिनांक 10-04-2023 को तत्काल प्रभाव से वापिस ले कर निरस्त किया जावे।

(सक्षम अधिकारी/ प्रबंधक)
रॉयल पार्क होटल्स एवं रिसोर्ट
(M)-9891388030

दिनांक : 26-04-2023
स्थान- गाजियाबाद

प्रतिलिपि: -

1. क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय- उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आई0एन0एस0-2, सेक्टर-16, वसुंधरा, गाजियाबाद,
उत्तर प्रदेश-201012.

2453

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लघु शिवाई विभाग / नोडल अधिकारी, वेब पोर्टल, गाजियाबाद।
 पत्रांक 615 / लॉसिओ / नोडल अधिकारी पोर्टल / 2023-24
 दिनांक 10.06.23

Manager/Owner,
 Royal Park Hotels & Resorts
 Shakti Khurd, 19/200, Indira Nagar, Ghaziabad, 201010

राज्य भूजल संचयन विभाग, लखनऊ, भारत। दिनांक 17/10/2022 को अनुपालन कराया जाने के सम्बन्ध में केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र भूजल भवन रोड-बी, सीतापुर रोड योजना, अलीगंज, लखनऊ के कार्यालय ब्रांच सं० (237-NGT)/CGWA/NR/S&I-2021/893 दिनांक 28/10/2021 के द्वारा गठित की गई समिति द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर जांच उपरान्त, Final Compensation Assessment Report प्रेषित की गई।
 उक्त निरीक्षण पर दिनांक 08/06/2023 को जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद की बैठक में समिति द्वारा उक्त धनराशि जमा कराने हेतु सम्बन्धित होटल संचालकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये।
 मा० एन०जी०टी० के निर्देशों में गठित समिति द्वारा जांच उपरान्त, Final Compensation Assessment Report के आधार पर आपकी फर्म/संस्था/कम्पनी/होटल पर दस लाख रुपये (Rs. 10,00,000/-) Compensation की धनराशि अधिशेषित की गई है। जिसे निम्न विवरण के खाता संख्या में जमा किया जाना है।

Bank Name	State Bank of India, RDC, Raj Nagar, Ghaziabad
Beneficiary Name	CITY MAGISTRATE
SB Account Number	38176256654
IFSC Code	SBIN0007873

अतः आपको नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार Compensation की धनराशि उक्त खाता संख्या में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए, माध्य सहित सूचित करें, अन्यथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(30 हरिओम)

अधिशासी अभियन्ता(लॉसिओ),
 नोडल अधिकारी, ग्राउण्ड वाटर वेब पोर्टल,
 गाजियाबाद।
 दिनांकित।

पत्रांक / लॉसिओ / नोडल अधिकारी पोर्टल / 2023-24
 प्रतिलिपि- निम्न की सेवा में सूचना प्रेषित।

1. निदेशक/सदस्य सचिव, भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र०, राज्य भूजल सूचना प्रणाली केन्द्र(भूजल भवन), ग्राम हरिहरपुर, निकट दिल्ली पब्लिक स्कूल, शहीद पथ, लखनऊ, 226002।
2. कार्यालय प्रमुख, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, भूजल भवन,सेक्टर-बी, अलीगंज, सीतापुर रोडयोजना, लखनऊ, 228021.
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गाजियाबाद।
4. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गाजियाबाद।

अधिशासी अभियन्ता(लॉसिओ),
 नोडल अधिकारी, ग्राउण्ड वाटर वेब पोर्टल,
 गाजियाबाद।

(पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या -34)

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रुषा यादव पत्नी श्री चन्द्रशेखर यादव निवासी-18 ए इण्डिया मून सिटी अहिंसा खण्ड-2 इन्द्रापुरम, गाजियाबाद के द्वारा अपने संस्थान रायल पार्क प्लॉट नं० 209 शक्ति खण्ड-2 इन्द्रापुरम गाजियाबाद जिला गाजियाबाद को सराय एक्ट -1867 के अधीन पंजीकृत किये जाने हेतु आवेदन किया गया था । पुलिस, पर्यटन, तहसीलदार, स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम, फायर तथा विद्युत सुरक्षा गाजियाबाद की आख्या के क्रम में रायल पार्क प्लॉट नं० 209 शक्ति खण्ड-2 इन्द्रापुरम गाजियाबाद जिला गाजियाबाद का पंजीकरण सराय एक्ट के अधीन कर लिया गया है ।

- | | |
|--|---|
| 1-प्रतिष्ठान का नाम | रायल पार्क प्लॉट नं० 209 शक्ति खण्ड-2 इन्द्रापुरम गाजियाबाद |
| 2-प्रतिष्ठान का पंता | प्लॉट नं० 209 शक्ति खण्ड-2 इन्द्रापुरम गाजियाबाद |
| 3-प्रतिष्ठान के स्वामी | श्रीमती रुषा यादव पत्नी श्री चन्द्रशेखर यादव निवासी-18 ए इण्डिया मून सिटी अहिंसा खण्ड-2 इन्द्रापुरम, गाजियाबाद |
| 4-प्रबन्धक का नाम | श्रीमती रुषा यादव |
| 5-प्रतिष्ठान का दूरभाष सं० | 9891388030 |
| 6-प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मियों की संख्या | 20 |
| 7-प्रतिष्ठान सुख साधन कर की परिधि में आता है अथवा नहीं ? | सुख साधन कर की परिधि में आता है । |
| 8-प्रतिष्ठान में कमरों की संख्या | 25 कमरे |
| 8-पंजीकरण का दिनांक | 28-7-2011 |
| 9-अन्य विवरण | सुरक्षा हेतु गार्डों की तैनाती की जाये, प्रत्येक वर्ष अग्निशमन यंत्रों की नियमित रूप से जांच कराई जायेगी । प्रत्येक वर्ष कर की अदायगी से सम्बन्धित शपथ पत्र दिया जायेगा । वाहनों के पार्किंग आदि की समुचित व्यवस्था करनी होगी । |



(अटल कुमार शर्मा) (City)
अपर जिला मजिस्ट्रेट (जगर) B.A.D
गाजियाबाद

श्रीमती ऊषा यादव पत्नी श्री चन्द्रशेखर यादव
निवासी-18 ए इण्डिया मून सिटी अहिंसा खण्ड-2
इन्द्रापुरम, गाजियाबाद ।

विषय:- रायल पार्क प्लॉट नं० 209 शक्ति खण्ड-2 इन्द्रापुरम जिला गाजियाबाद को सराय एक्ट के अधीन पंजीकृत कराये जाने विषयक :-

- आपके प्रार्थना पत्र के कम में अवगत कराना है कि आपके प्रतिष्ठान रायल पार्क प्लॉट नं० 209 शक्ति खण्ड-2 इन्द्रापुरम गाजियाबाद जिला गाजियाबाद का पंजीकरण सराय एक्ट -1887 के अधीन निम्न प्रतिबन्ध के साथ किया जाता है कि आप सराय एक्ट की धाराओं का नियमानुसार पालन सुनिश्चित करेंगे ।
- 1-सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जायेगा तथा न ही पार्किंग के रूप में प्रयोग किया जायेगा
 - 2-किसी भी प्रकार के मनोरंजन कर से सम्बन्धित कार्यक्रम का आयोजन बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जायेगा ।
 - 3-होटल / बैंक हाल के कैम्पस में उक्त व्यवसाय के अतिरिक्त बिना अनुमति के किसी प्रकार का कोई मेला,सेल प्रदर्शनी इत्यादि का आयोजन नहीं किया जायेगा ।
 - 4-अपने संस्थान में सुरक्षा, विद्युत उपकरणों की जांच नियमति रूप से कराया जाना सुनिश्चित करेंगे ।
 - 5-प्रत्येक वर्ष एक शपथ पत्र इस आशय का दिया जायेगा कि आप सराय एक्ट के अधीन नियमानुसार कार्य कर रहे हैं तथा देय फीस आदि नियमानुसार जमा कराया जाना सुनिश्चित करेंगे
 - 6-उक्त पंजीकरण सराय एक्ट के अन्तर्गत किया जा रहा है । इसका आशय भूमि स्वामित्व तथा राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि आदि तथा अन्य नगर नियोजन के अन्तर्गत कदाचित किसी भी लाभ हेतु मान्य नहीं होगा ।
 - 7-सम्बन्धित प्राधिकरण से नियमानुसार मानचित्र आदि पास कराना होगा ।
 - 8-वाहनों आदि के पार्किंग आदि की भी समुचित व्यवस्था की जायेगी, किसी भी सरकारी जमीन पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं की जायेगी ।
- यदि निरीक्षण के समय आपके प्रतिष्ठान में सिी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा ।

(अटल कुमार राय),
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)
गाजियाबाद ।

प्रतिलिपि :-

- 1-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद,
- 2-तहसीलदार गाजियाबाद ।
- 3-स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम गाजियाबाद ।
- 4-क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी मेरठ ।
- 5-मुख्य अग्नि शमन अधिकारी गाजियाबाद ।
- 6-सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा गाजियाबाद ।

(अटल कुमार राय),
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)
गाजियाबाद

2456

20



विद्युत सुरक्षा निदेशालय

कार्यालय, सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन
गाजियाबाद ज़ोन, गाजियाबाद

दिनांक: 18/01/2023

संख्या: 23VSNOC05052245 वि०सु०/मध्यम विभव/एच०टी०/निरीक्षण, 2022-23
ROYAL PARK

PLOT NO 209 SHAKTI KHAND II INDIRAPURAM GZB

विषय :- विद्युतीय अधिष्ठापनों का निरीक्षण/परीक्षण।

प्रसंग :- आप का आवेदन पत्र संख्या VS2230496 दिनांक 17/01/2023
प्रिय महोदय,

कृपया निम्नांकित विद्युतीय अधिष्ठापन का निरीक्षण/परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 18/01/2023 को करने पर उक्त विद्युतीय अधिष्ठापन विद्युत सुरक्षा की दृष्टि से सैन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (मेजर्स रिगुलेशन एण्ड इलेक्ट्रिक सप्लाय) रेगुलेशन 2010 के सुसंगत विनियमों का पालन करता हुआ पाया गया। अधिष्ठापन में किसी भी परिवर्तन की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराते हुये पुनः निरीक्षण कराया जाये।

क्र० सं०	उपकरण	मेक	क्षमता	वोल्टता	सीरियल नम्बर	मात्रा
1	Transformer	LALIT TRANSFORMERS	100 KVA	11000 V	LT-478	1

विद्युतीय लोड के अधिष्ठापन का विवरण ० मिलोवाट।

टिप्पणी :

satisfactory

भवदीय,

Saurabh

SAURABH KUMAR SINGH
सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा, 3000 शासन,
गाजियाबाद

संख्या: 23VSNOC05052245वि०सु०/मध्यम विभव/एच०टी०/निरीक्षण, 2022-23,दिनांक।

उपरोक्त की प्रति लिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिशासी अभियन्ता, विद्युतवितरण खण्ड, गाजियाबाद।

भवदीय,

Saurabh

SAURABH KUMAR SINGH
सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा, 3000 शासन,
गाजियाबाद



www.vidyutsuraksha.org से सत्यापित करने के पश्चात ही संयोजन किया जाना सुनिश्चित करें।
नोट :- यह एन ओ सी केवल 3 वर्ष तक मान्य है।

THIS NOC IS GENERATED THROUGH E-SIGNATURE.

Login ID - EU2207563
E Password is - 2JWDMJ7M
Do Renewal - 17-01-2026

Scanned with OKEN Scanner

प्रारूप-झ (संलग्नक-9) अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2023/77467/G2B/GHAZIABAD/4786/CF0

दिनांक: 28-03-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स ROYAL PARK (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) प्लॉट PLOT NO-209 SHAKTIKHAND-2, INDIRAPURAM, GHAZIABAD तहसील - GHAZIABAD जिले में

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	वेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
EASEMENT GROUND AND 03 FLOOR	4	1	14.50 mt.

तथा प्लॉट एरिया 448.05 sq.mt है। भवन का अधिभोग ROYAL PARK (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण अग्निशामन अधिकारी द्वारा दिनांक 30-03-2023 को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री USHA YADAV के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं की मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रथम पुनः को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) Residential के अन्तर्गत वैधता तिथि 01-04-2023 से 31-03-2026 तक 3 वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशामन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : यह अनापत्ति प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या 18-उः-पु0-8-2022-905(34)/2016 टीसी गृह पुलिस अनुभाग-8 दिनांक 07.01.2022 के क्रम में निर्गत किया जा रहा है। जिसके सैटबैक सत्ता प्राधिकारी के निर्णय के अधीन हमें भवन में निरन्तर फॉक डिल फायर डिमास्ट्रेशन एवं विधुत वायरिंग लोड का सम्बन्धित विभाग से आडिट कराया जाना अनिवार्य होगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशामन अधिकारी)



Digitally Signed By
(RAHUL PAL)

[49CFB8048DA64910CAE4F035187DB1A56689CBDF]

01-04-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 01-04-2023
स्थान : GHAZIABAD

Five login:
user ID - s1ekhar@hotelsroyal.com
password - Aditya@1997



2458

22

NatureClean Enviro Services Pvt. Ltd.
Your Waste. We Manage

MSW Work Agreement

Dated : 29/08/2019

To,

The Managing Director,
Royal Park Hotels & Resorts
Shakti Khand 2, Indrapuram,
Ghaziabad (U.P.)

SUB: LIFTING OF MUNICIPAL SOLID WASTE (MSW-2016) FROM YOUR HOTEL DESIGNATED GARBAGE POINTS

- Our dedicated vehicle will collect MSW (Municipal Solid Waste) from designated dump point of your Hotel premises.
 - Metal / Plastic Bins (Green/ Blue) will be placed by Hotel owner from his own cost to carry waste as per SWM rule 2016.
 - This contract will be applicable w.e.f 30-08-2019 and renewed each year and would be increased by 5% every year.
 - The waste collected will be carried and disposed directly at designated dump Site.
 - As per our mutual discussion, You will pay monthly charges of Rs.2000/- (Two Thousand Rupees Only) GST extra, If applicable.
 - Collection Time will be as per mutual agreement.
 - Any Change in terms and conditions shall be in writing with mutual concern as per agreement with GDA.
- After start 30 days waste collection "Nature Clean Enviro Services Pvt. Ltd" Commercial Team will start monthly User Charge payment through Cheque/ Cash/ Mobile app and Unique ID will be issued to Client for Payment SMS and alerts. Original Bill copy also will be provided to client after getting payment.

Office Add. : CS-12, IInd Floor, Gyan Khand-2, Indrapuram, Ghaziabad-201014

Website: www.natureenviro.com
Email: support@natureclean.in, dr@natureenviro.in
Contact : +91- 9811565007, 8181813771, 8800495800

JAS-ANZ



YOUR WASTE. WE MANAGE



Nature Clean Enviro Services Pvt. Ltd.

2459

23

Please sign the duplicate copy of this letter and affix your office seal as having accepted the same after mutual discussion.

Your Waste. We Manage

Thanking You
For Nature Clean Enviro Services Pvt. Ltd.

Ruchi Arora
Nature Clean Enviro
Sd/-
Sign.

Ruchi Arora

Sr. Manager- Commercial
Mobile - 9891653572
Helpline No:- 8181813771

Managing Director
Royal Park Hotels & Resorts,
Shakti Khand 2, Indirapuram,
Ghaziabad (U.P.)

ROYAL PARK
HOTELS & RESORTS
SK-II/209 Indirapuram
Ghaziabad-201014 (NCR, Delhi)



ISO 9001:2008

2461

25



Ghaziabad Development Authority GHAZIABAD

Book No. 145 सम्पत्ति के वर्तमान स्वामी Date 5/12/22
 Mr./Ms. 3750 पार्क 7 Unit No. 011
 Plot/House No. SK 2 209
 Pay on or Before 2983 2 209

Item No.	PARTICULARS	Rs.	P.
1.	Maintenance Charges for the सम्पत्ति के वर्तमान स्वामी Month of <u>1.4-2022</u> to <u>31.3-2023</u> @ Rs. <u>6463820</u> P.M.	<u>6463820</u>	
2.	Arrear Bill (if any).....		
3.	Penalty/Interest (if any).....		
4.	Connection Charges काचिलय अनुसंधान शुल्क वसूली नीती खण्ड-2, पुलिस चौकी के पीछे, पानी की टंकी	<u>6463820</u>	
Total Amount			

Repees in Words.....

विश्वान सिंह
Signature

JDD/Char 22864
29/05/2023

यहाँ पर 2 मीटर 20 सेमी काचिलय का

कॉपी

2462

26

TID No. Invoice No.

मोका. सं. सम्पत्ति विभाग की चालान

लेन देन सं० 9891388030

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण


एच डी एफ सी बैंक
 We understand your world D-44, RDC राजनगर, गाजियाबाद

आवंटी के प्रति

22907

खाता नं. 50200022664952

दिनांक 31/3/22 ID No.

भवन/भूखण्ड संख्या SK2-209

योजना का नाम योजना कोड

आवंटी का नाम व पता

SK2-209

विवरण	धनराशि (₹.)
1. भवन/भूखण्ड की किस्त	
2. दण्ड ब्याज HDFC BANK LTD.	
3. लीज किराया	
4. फी होल्ड 30/MAR/2022	
5. सीवर शुल्क	1,75,959
6. विकास/अनिर्माण शुल्क	
7. हस्तान्तरण शुल्क / नाम दर्ज	
8. अन्य शुल्क	
9.	
योग	1,75,959

धनराशि (शब्दों में)

नकद/ ड्राफ्ट संख्या / डिजिटल 209158

दिनांक 27/3/2022

निर्गत बैंक IDBI बैंक

 धारकर्ता के हस्ताक्षर रोकड़िया प्रबन्धक
 deposit alone will not accrue any right to Allottee/ Depositor/ Applicant
 ACCEPTABLE AT PAR

2463

27

Ghaziabad Development Authority GHAZIABAD

Book No. 150 Bill No. 032 Date.....
 Mr./Ms. श्री. चन्द्र - (शिवराज टाउन)
 Plot/House No. SK-2-209
 Pay on or Before 27/03/2022 209

Item No.	PARTICULARS	Rs.	P.
1.	Maintenance Charges for the <u>संपत्ति के वर्तमान स्वामी</u> Month of <u>1-4-2021</u> to <u>31-3-2022</u> @ Rs.....P.M.	<u>61647 = rs</u>	
2.	Arrear Bill (if any) <u>1-4-19 to 31-3-2021 के</u>	<u>114912 = rs</u>	
3.	Penalty/Interest (if any).....	<u>/</u>	
4.	Connection Charges <u>कार्यालय</u> <u>अनुसंधान शुल्क वसूली</u> <u>नीती खण्ड-2, पुलिस चौकी</u> <u>के पीछे, पानी की टंकी</u>	<u>175954 = rs</u>	
Total Amount			

शुल्क का 29 भाग टाउन एजेंसी को देना है
1509/209/58
02/03/2022
9599.2
 Rupees in Words.....

रिजाम सिंह
 Signature
 मो 8873914614

2464

28

TID No..... Invoice No.....

मोबा. सं. 989130002 सम्पत्ति विभाग की चालान

लेन देन सं०

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

HDFC BANK एच डी एफ सी बैंक
We understand your world D-44, RDC राजनगर, गाजियाबाद

बैंक के प्रति 2470

खाता नं. 50200022664952

दिनांक 29/12/18 Property ID No.

आवंटी का नाम USHA YADAV

आवंटित भवन/मूखण्ड संख्या

पता 29, SK - Ind. Land, Rajnagar, GZB

योजना सम्पत्ति श्रेणी

विवरण	धनराशि (रु.)
1. भवन/मूखण्ड की किस्त	
2. दण्ड ब्याज	
3. लीज किराया	
4. फी होल्ड	
5. सीवर शुल्क	विज्ञान सिंह
6. सेवा कर	सपरवाइजर
7. हस्तान्तरण शुल्क/नाम दर्ज	
8. अनुरक्षण शुल्क	
9. अन्य शुल्क	229,992/-
योग	229,992/-

धनराशि (शब्दों में) Two lac thirty nine thousand nine hundred and ninety two only

नकद/ड्राफ्ट संख्या/डिजीटल

दिनांक 29/12/18
निर्माता/भूखण्ड: 50200022664952
गाजियाबाद

जमाकर्ता के हस्ताक्षर रोकडिया प्रबन्धक
Deposit alone will not confer any right to Allottee/ Depositor/Applicant
ACCEPTABLE AT PAR

RECEIVED
Time Out
upto March 2019

2465

29

Ghaziabad Development Authority GHAZIABAD

Book No.

BILL No. 097

Mr./Ms. 052 ऊषा यादव (शमल सिंह)

Plot/House No. S.K-2-209-अ.क. 29.1.11

Pay on or Before. अक्टूबर 2-209

Item No.	PARTICULARS	Rs.	P.
1.	Maintenance Charges for the वर्तमान भवन स्वामी Month of <u>1-4-2018</u> to <u>31-3-2019</u> @ Rs. <u>1.4-2014</u> P.M.	54792.00	
2.	Arrear Bill (If any) <u>1.4-2014 से 31-3-18 तक</u>	185200.00	
3.	Penalty/Interest (If any).....	1	
4.	Connection Charges.....	2,39992.00	
Total Amount			

₹ 239992.00
 ZDB/IN/129984
 29/12/18

मूखण्ड पर निर्मित
 सभी भवनों के स्वामी
 मिल कर जमा करे

Date of issue of the Bill

विज्ञान सिंह
 सुपरवाइजर
 मो 8373914614

Signature

2466

30

Nagar Nigam Ghaziabad



पत्र सं० 2

नियम 8 देखें

रसीद सं० VS1F/1010132210251
पुस्तक सं० AUTO GENERATED
नाम Usha yadav (Hotel Royal Park)

जोन Vasundhara
मोहल्ला Shakti Khand
पता Shakti Khand-2 Commercial

मॉग रजिस्टर की क्रम सं०(पिन)	गृहदि का नाम अथवा संख्या	भुगतान का विवरण	अवधि	धनराशिरु०/पै०
VS101299	209	गृहकर जलकर सीवर/ड्रेनेज कर	2022-2023	153567
Payment Mode- Chequo , Cheque No 217960		कुल प्राप्त		153567
योग शब्दों में One Lakh Fifty-Three Thousand Five Hundred and Sixty-Seven RUPEES ONLY				

भुगतान तिथि 10/10/2022
रोकडिया

This Receipt is valid only After Realisation of the Cheque/DD 217960

गाजियाबाद नगर निगम
मॉग और समाहरण रजिस्टर
का प्रभारी लिपिक

लेखाधिकारी /राजस्व अधीक्षक

अनुज्ञापति लाईसेंस की दशा में यह रसीद अनुज्ञापति के सीन पर प्रयुक्त नहीं की जा सकती और नगर निगम के अनुज्ञापति अस्वीकार कर देने के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती। अवैधानिक निर्माण के गिराये या हटाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा कौ जाने वाली कार्यवाही पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।

'यह रसीद स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं है।'

Said.

Property Tax
F.Y. 2022-23

31

Proprietor

Agar Nigam Ghaziabad

HOUSE DETAILS

PRP NO.	VS101244
HOUSE NO.	209
LOCAL.	High School (Hotel Moya) Park
EDUCATION.	Shri. Prasad
TYPE.	WASULIN (A) A
ALL INTS.	7 1015509
ARREAR.	7 0.00
CURR. ARE. (2021)	7 0.00
HOUSE TAX (2021)	7 141956.91
WATER TAX (2021)	7 0.00
SEWER TAX (2021)	7 0.00
LESS: DISCOUNT (2021)	7 38291.78

TOTAL AMOUNT TO PAY ₹ 153567.00 **PROCEED TO PAY**

PAYMENT SUMMARY

CREDIT/DEBIT NOTE SUMMARY


Created by Tomplate / Kendra Aps
Help Desk: 1722-209200 (Office Hours: 12:00 AM - 5:00 PM)

Visitor Count: 00251382

Recd.
 ₹ 153567.00
 IDBI A/c No. - 217960
 22/09/2022
 dem 28/09/2022
 F.Y. 2022-23.

नगर निगम Ghaziabad
 जोनल कार्यालय Vasundhara (4)
 सेवा में,
 नाम: Usha vadav (Hotel Royal Park)
 वार्ड सं० / नाम: 81/Shakti Khand (81)
 पता: 209/Shakti Khand-2
 प्लॉट सं०/ सोसाइटी: HOTEL ROYAL PARK
 सड़क का नाम/पता: Shakti Khand-2 Road
 मोबाइल नंबर: 9891388030
 प्रतिष्ठान नाम:
 पत्रक:

2468



नोटिस सं०
 नक्शा पारस आईडी: 2685
 दिनांक

नोटिस

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 207/213 के उपबंधों के अधीन प्राविधानित इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि नगर निगम के अन्तर्गत सामान्यकर के आरोपण के लिए जी.आई.एस. बेस सर्वे का कार्य कराया जा रहा है। आपके भवन/संपत्ति संख्या 209 पर वर्तमान का वार्षिक मूल्यांकन व सामान्यकर जी.आई.एस. बेस सर्वे के उपरान्त की स्थिति निम्नवत् पायी है:-

क्र.0.	मद	वर्तमान स्थिति	सर्वे के उपरान्त की स्थिति
1	प्रॉपर्टी पहचान संख्या		विवरण
2	भवन क्रमांक	vs101299	14G4SKSK21N0896
3	भूमि / भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	209	209
4	भवन का प्रकार 1-आवासीय 2-मिश्रित 3-अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक	अनावासीय	कारपेट क्षेत्र 18000 अनावासीय श्रेणी 01, 01, 01, 01, 01
5	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)		22000
6	भवन का कारपेट एरिया (वर्ग फुट में)		17600
7	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		0
8	भूमि / भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)		TwelveTo24
9	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रूपये प्रति वर्ग फुट)		1.83
10	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रूपये प्रति वर्ग फुट)		0.45
11	भवन का वार्षिक मूल्यांकन	₹1,919,589.00	₹1,976,400.00
12	यदि कोई छूट अनुमत्य है तो उसका विवरण		
13	अनुमत्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिक मूल्यांकन		₹1,976,400.00
14	कर की धनराशि		
15	अनावासीय संपत्ति की श्रेणी और उप-श्रेणी	श्रेणी और उपश्रेणी आईडी	उपश्रेणी विवरण
	विवरण	01-07, 01-07, 01-07, 01-07, 01-07	Private Hotels, Private Hotels, Private Hotels, Private Hotels, Private Hotels
	भवन स्वामी पर पूर्व से बकाया धनराशि	बकाया धनराशि	वार्षिक मूल्यांकन कर कुल धनराशि संशोधन के पश्चात प्रस्तावित कर
A	सामान्य कर	10	₹191,958.90
B	जलकर/जल मूल्य	10	₹0.00
C	सीवर कर	4	₹0.00
	कुल बकाया		197640.00

1) उपरोक्त के सबंध में सूचित किया जाता है कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन और उस उक्तनुसार देय सामान्य कर की धनराशि के सबंध में यदि आपको कोई आपत्ति है तो नोटिस के दिनांक से 30 दिनों के अंदर तथ्यात्मक कारण (रजिस्ट्री/नक्शा की छाया प्रति) के साक्ष्य सहित नगर निगम Ghaziabad के जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण के सबंध में निर्धारित दिनांक को जोन 4 कार्यालय Vasundhara में मुख्य कर निर्धारण अधिकारी/जोनल अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। आपत्ति तथ्यों पर आधारित न होने एवं जुटिपूर्ण/भ्रामक होने की स्थिति में अधिनियम में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अर्पण देय होगा।

2) निर्धारित समय सीमा में आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि उपरोक्त वार्षिक मूल्यांकन / निर्धारितकर से आप पूर्णतया सतुष्ट हैं।

3) भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई संबंध नहीं है।

4) नगर निगम के वेबसाइट <https://onlinegm.com> पर login कर अथवा सीधे नगर निगम काउण्टर पर भुगतान किया जा सकता है।

हस्ताक्षर
 जी.आई.एस. सर्वेकर्ता
 हस्ताक्षर
 राजस्व निरीक्षक
 नोटिस प्राप्तकर्ता
 हस्ताक्षर (नाम)
 मो. नं.

अक्षांश: 28.6471720122362
 देशान्तर: 77.3738038996025

हस्ताक्षर
 कर अपीक्षक / कर निर्धारण अधिकारी / जोनल प्रभारी

2470

34

P-7



Nagar Nigam Ghaziabad

प्रपत्र सं० 2

नियम 8 देखें

रसीद सं० VS9F/0201122243379
 पुस्तक सं० AUTO GENERATED
 नाम Usha yadav (Hotel Royal Park)

जोन Vasundhara
 मोहल्ला Shakti Khand
 पता Shakti Khand-2 Comercial

मॉग रजिस्टर की क्रम सं०(पिन)	गृहदि का नाम अथवा संख्या	भुगतान का विवरण	अवधि	धनराशि/रु०/पै०
VS101299	209	गृहकर जलकर सीवर/ड्रेनेज कर	2021-2022	166921
Payment Mode- Cheque , Cheque No 206715		कुल प्राप्त		166921
योग शब्दों में	One Lakh Sixty-Six Thousand Nine Hundred and Twenty-One RUPEES ONLY			

भुगतान तिथि 01/02/2022

This Receipt is valid only After Realisation of the Cheque/DD 206715

गाजियाबाद नगर निगम

मॉग और समाहरण रजिस्टर

का प्रभारी लिपिक

रोकडिया

लेखाधिकारी /राजस्व अधीक्षक

अनुज्ञापति लाईसेंस की दशा में यह रसीद अनुज्ञापति के सीन पर प्रयुक्त नहीं की जा सकती और नगर निगम के अनुज्ञापति अस्वीकार कर देने के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती। अवैधानिक निर्माण के गिराये या हटाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा की जाने वाली कार्यवाही पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।

'यह रसीद स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं है।'



2471

35

Nagar Nigam Ghaziabad

प्रपत्र सं० 2

नियम 8 देखें

रसीद सं० VS1F/1010132210251 जौन Vasundhara
पुस्तक सं० AUTO GENERATED मोहल्ला Shakti Khand
नाम Usha yadav (Hotel Royal Park) पता Shakti Khand-2 Commercial

मॉग रजिस्टर की क्रम सं०(पिन)	गृहदि का नाम अथवा संख्या	भुगतान का विवरण	अवधि	धनराशिरु०/पै०
VS101299	209	गृहकर जलकर सीवर/ड्रेनेज कर	2022-2023	153567
Payment Mode- Cheque , Cheque No 217960		कुल प्राप्त		153567
योग शब्दों में One Lakh Fifty-Three Thousand Five Hundred and Sixty-Seven RUPPEES ONLY				

भुगतान तिथि 10/10/2022

This Receipt is valid only After Realisation of the Cheque/DD 217960

गाजियाबाद नगर निगम

रोकडिया

मॉग और समाहरण रजिस्टर

लेखाधिकारी /राजस्व अधीक्षक

का प्रभारी लिपिक

अनुज्ञापति लाईसेंस की दशा में यह रसीद अनुज्ञापति के सीन पर प्रयुक्त नहीं की जा सकती और नगर निगम के अनुज्ञापति अस्वीकार कर देने के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती। अवैधानिक निर्माण के गिराये या हटाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा की जाने वाली कार्यवाही पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।

'यह रसीद स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं है।'

*Said.**Property Tax
F.Y. 2022-23*

2472



36

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
Original Application No. /APPEAL 438 OF 2018

IN RE:
ARTI

CENTRAL GROUND WATER AUTHORITY & ORS.

VERSUS

Applicant

Respondent(s)

KNOW ALL to whom these presents shall come that I/WE, **CHANDRASHEKHAR, Managing Director, Royal Park Hospitality Private Limited under which operates Royal Park Hotel & Resorts** the above-named respondent No. 104, do hereby appoint hereinafter called the advocate(s) to be my/our Advocate(s) in the above noted case and authorize

ADITYA KISHOR TYAGI (D/4583/2016) **ANAND KUMAR V (D/598/2017)**
AP Legal Chambers, Advocates & Solicitors G- 70, LG- 04, G Block, Sector- 63, Noida
M. No. +91 9210248080 Email: aplegalchambers@gmail.com

To act, appear and plead in the above-noted case in this Court or in any other Court in which the same may be tried or heard and also in the Appellate Court including High Court subject to payment of fees separately for each court by me/us.

To sign, file, verify and present pleadings, appeals, cross-objections or petitions for executions review, revision, withdraw compromise or other petitions or affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the execution of the said case in all its stages subject to payment for fees for each stage.

To file and take back document, to admit &/or deny the documents of opposite party.

To withdraw or compromise the said case or submit to arbitration any differences or disputes that may arise touching or in any manner relating to the said case.

To take execution proceedings. To deposit, draw and receive moneys, cheques, cash and grant receipts thereof and to do all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution of the said case.

To appoint and instruct any other Legal practitioner or person authorising him to exercise the power and authority hereby conferred upon the Advocates whatever they may think fit to do so & sign the power of attorney.

And I have signed all the documents in the present case.

And I/we the undersigned do hereby agree to ratify and confirm all acts done by the Advocates or their substitute in the matter as my/our own acts, as if done by me/us to all intents and purposes.

And I/we undertake that I/we or my/our duly authorised agent would appear in court on all hearings & will inform the Advocates for appearance when the case is called.

And I/we undersigned do hereby agree not to hold the advocate or his substitute responsible for the result of the said case. The adjournment costs whatever ordered by the Court shall be of the Advocate he shall receive and retain for him.

And I/we the undersigned do hereby agree that in the event of the whole or part of the fee agreed by me/us to be paid to the advocates remaining entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid up. The fee settled is only for the above case and above court for a period of three years only. I/we hereby agree that once the fee is paid I/we will not be entitled for the refund of the same in any case whatsoever.

IN WITNESS WHEREOF I/we do hereunto set my/our hand to these presents the contents of which have been understood by me/ us on this the 11th July, 2023.

Identified and Accepted subject to terms of fees.

For Royal Park Hospitality Pvt. Ltd

(Director)

(ADVOCATE)

Adv. Aditya Kishor Tyagi
D-4583-2016

(ADVOCATE)

Adv. Anand Kumar V.
D-598-2017

(CLIENT)

2473

37



SK-11/209, Indrapuram, Ghaziabad (U.P.)
Call : 0120-8494222, 6488223, 4381816
Mob. : 9540040416/18
E-mail : info@hotelsroyalpark.com
Website : www.hotelsroyalpark.com

Hotels & Resorts

(Unit of Royal Park Hospitality Pvt. Ltd.)

CIN-U55101DL2011PTC219251

COPY OF BOARD RESOLUTION PASSED IN THE MEETING OF BOARD OF DIRECTORS OF M/S ROYAL PARK HOSPITALITY PRIVATE LIMITED HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT C-2, SARANS APTS. PATPARGANJ, DELHI - 110092 ON 22nd SEPTEMBER, 2022 AT 11.00AM.

"RESOLVED THAT the consent of the board of directors of the company be and is hereby accorded to authorized Mr. Chandra Shekhar director of the company to represent the company in legal proceeding initiated before the Hon'ble National Green Tribunal, Delhi in the Original Application No.438/2018 titled as *Arti Vs. Central Ground Water Authority & Ors*;

RESOLVED FURTHER THAT Mr. Chandra Shekhar, director of the company be and is hereby authorized to file and/ or to defend the Original Application No.438/2018 titled as *Arti Vs. Central Ground Water Authority & Ors*, under applicable law before the competent courts, tribunals, authorities for and on behalf of the company as and when required to give effect to the above resolution;

RESOLVED FURTHER THAT Mr. Chandra Shekhar, director of the company be and is hereby authorized to engage any advocate and to submit vakalatnama, statements, documents, evidences, declaration etc. before the appropriate authorities/courts on behalf of the company as and when required and to enter any compromise, settlement of case they may considers appropriate in the interest of company".

FOR AND ON BEHALF OF THE COMPANY
ROYAL PARK HOSPITALITY PRIVATE LIMITED

Sd/-
(CHANDRA SHEKHAR)
(DIN-03512344)

Sd/-
(USHA YADAV)
(DIN-03512341)

Room & Suite
Multicuisine Restaurant
Lounge Bar
Sweets & Snacks

- Conference Hall
- Banquet Hall & Royal Lawn
- Health & Fitness Center
- Spa & Saloon